



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082025-265546
CG-DL-E-20082025-265546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947

No. 567]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1307)— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकरता है:

1) **संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1089)** दिनांक 13 नवम्बर 2024 (प्रकाशित दिनांक 22 नवम्बर 2024)

अनुसूची के क्रम संख्या 02 एवं 03, कॉलम (5) में — '11 मई 2025' को '18 जुलाई 2026' से प्रतिस्थापित करें।

2) **संदर्भ: HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (971)** दिनांक 22 जुलाई 2024 (प्रकाशित दिनांक 31 जुलाई 2024)

अनुसूची के क्रम संख्या 01 एवं 02, कॉलम (5) में — '18 जुलाई 2025' को '18 जुलाई 2026' से प्रतिस्थापित करें।

3) संदर्भ: HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (480) दिनांक 26 दिसम्बर 2022 (प्रकाशित दिनांक 06 जनवरी 2023) (अंग्रेजी में)

अनुसूची के क्रम संख्या 01, कॉलम (2) में — 'आई एस 10258 (भाग 1) : 2022/आई एस ओ 78886-1 : 2017' को 'आई एस 10258 (भाग 1) : 2022/आई एस ओ 7886-1 : 2017' से प्रतिस्थापित करें| एवं

अनुसूची के क्रम संख्या 01, कॉलम (4) में — 'आई एस 10258 : 2022/आई एस ओ 7886-1 : 1993' को 'आई एस 10258 : 2002/आई एस ओ 7886-1 : 1993' से प्रतिस्थापित करें|

रचना सहगल, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (एम एस सी)

[विज्ञापन-III/4/असा./300/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th August, 2025

Ref: HQ-PUB-BIS (1307)—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1089) dated 13 November 2024 (Published on 22 November 2024)

Sl No. 02 and 03, column (5) of schedule — Substitute '18 July 2026' for '11 May 2025'.

2) Ref no. HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (971) dated 22 July 2024 (Published on 31 July 2024)

Sl No. 01 and 02, column (5) of schedule — Substitute '18 July 2026' for '18 July 2025'.

3) Ref no. HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (480) dated 26 December 2022 (Published on 06 January 2023) (In English)

Sl No. 01, column (2) of schedule — Substitute 'IS 10258 (Part 1) : 2022/ISO 7886-1 : 2017' for 'IS 10258 (Part 1) : 2022/ISO 78886-1 : 2017' and

Sl No. 01, column (4) of schedule — Substitute 'IS 10258 : 2002/ISO 7886-1 : 1993' for 'IS 10258 : 2022/ISO 7886-1 : 1993'

RACHNA SEHGAL, Scientist G & DDG (MSC)

[ADVT.-III/4/Exty./300/2025-26]